

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 08/10/10

क्रमांक एफ-10/ 47 /2010/वाक/पांच (64) - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01.11.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	एबीएशन टरबाइन फ्यूल जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो-घ) में विनिर्दिष्ट किये गए से भिन्न है।	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 08/10/10

क्रमांक एफ-10/ 47 /2010/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 47 /2010/वाक/पांच(64), दिनांक 08/10/10 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

**Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 08/10/10

No. F-10/ 47 /2010/CT/V (64) – In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said act to the extent specified in column (3) for the period from 01-11-2010 to 31-03-2011:-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Aviation turbine fuel other than those specified in clause (ii-d) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary